न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **396/2022** दायर दिनाँक **28.09.2022**

वादी

1. अब्दुल करीम पुत्र बेली, जाति धोबी, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

श्री कमलेश कुमार एडवोकेट वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **30.09.2022**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 1824 रकबा 2.7400 हैक्टर वाके कोलिया स्थित है, जिसमें वादी के पिता बेली के नाम से 1/2 हिंस्सा की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की नकल वाद के साथ पेश है। वादी के पिता बेली के दो पुत्र वादी व अब्दुल रहमान हुये, तथा अब्दुल रहमान को इस खेत के बंट के बदले में एक अन्य खेत खसरा संख्या 1750 दे दिया था, जिसे उसने अन्य किसी व्यक्ति को बेचाण कर दिया, जिसकी जमाबन्दी साथ में पेश है, इसलिये उक्त खेत खसरा संख्या 1824 वादी के बंट व हक हिंस्से में चला आ रहा है, वादी के पिता का वर्ष 1994 में मृत्यु हो चुकी है। इसलिये उक्त खेत के 1/2 हिंस्से की खातेदारी वादी अपने नाम से करवाना चाहता है, जिसका की वह कानुनन हकदार है, अतः वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है। उक्त खेत का पूर्वी 1/2 हिंस्सा वादी के पिता बेली के बंट व कब्जा काश्त में आया हुआ है, जिसमें वादी वर्षो से फसल करता आया है, वादी अपने पिता बेली के बंट व कब्जा काश्त के पूर्वी दिशा के 1/2 हिंस्से (जो खसरा संख्या 1825 के चिपते ही) की जगह अपने नाम से खातेदारी करवाकर अलग बंटवारा करवाना चाहता है, जिसका की वह जायज हकदार है, अतः वादी को दावा बा[illegible] का [illegible]मी आया है। बिनाय दावा हाल ही में दिनॉक 20.09.2022 को अ[illegible] खात[illegible] व वादी के नाम से खातेदारी [illegible] से अन्दर हदुद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

अदालत हाजा बमुकाम कोलिया पैदा हुआ, दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, तथा दावा अन्दर मयाद है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी का पेश हुआ।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम कोलिया के खेत खसरा संख्या 1824 रकबा 2.7400 हैक्टर में से वादी के पिता बेली पुत्र हुसेन बक्स के नाम से दर्ज 1/2 पूर्वी हिंस्सा (खसरा संख्या 1825 के चिपते ही) अर्थात 1.37 हैक्टर भूमि का वादी को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनॉंक **30.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 396/2022 दायर दिनॉक 28.09.2022

वादी

1. अब्दुल करीम पुत्र बेली, जाति धोबी, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनॉक 30.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री कमलेश कुमार एडवोकेट वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, ग्राम कोलिया के खेत खसरा संख्या 1824 रकबा 2.7400 हैक्टर में से वादी के पिता बेली पुत्र हुसेन बक्स के नाम से दर्ज 1/2 पूर्वी हिंस्सा (खसरा संख्या 1825 के चिपते ही) अर्थात 1.37 हैक्टर भूमि का वादी को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
वावत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner